न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 111/2019 (RCMS : 2019/00199) अनवान महेन्द्र पुत्र पप्पूराम जाति भाट निवासी हाल वार्ड नम्बर 09, भट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) बनाम 1. इन्द्राज पुत्र बचनाराम 2 लालचन्द पुत्र बचनाराम 3. रणवीर पुत्र रामकुमार पुत्र बचना राम जाति भाट निवासी चाहूवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ 4. ईमरती पत्नी प्रकाश पुत्री बचनाराम जाति भाट निवासी 6 ए एस मोटासर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर 5. जैता पत्नी पृथ्वीराज पुत्री बचनाराम जाति भाट निवासी चक 10 के.जी.डी. ग्राम पंचायत मालुडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर 6. मंजू पत्नी संदीप पुत्री मूर्ति पुत्री बचनाराम जाति भाट निवासी आई.टी.आई बस्ती, सैन्ट्रल जेल के पास, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ 7. नानू उर्फ माया पत्नी राज पुत्री मूर्ति पुत्री बचनाराम जाति भाट निवासी 3 बी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 8. सुमन पत्नी रामू पुत्री मूर्ति पुत्री बचनाराम जाति भाट निवासी 34 एलएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ 9. धापा देवी उर्फ कविता पत्नी रामू पुत्री मूर्ति बचनाराम जाति भाट निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 10. आरती पत्नी विक्रम पत्नी रामू पुत्री मूर्ति पुत्री बचनाराम जाति जाट निवासी गांव अराईयावाली तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 11. तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर 12. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.11.2019

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री सुखपाल सिंह उपस्थित है। इस कार्यालय क पत्र दिनांक 1128 दिनांक 25.09.2019, 1276 दिनांक 16.10.2019 एवं 1363 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर की टिप्पणी चाही गई थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रार्थी के अभिभाषक के मौखिक निवेदन पर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के खिलाफ एक वाद अनवानी महेन्द्र बनाम इन्द्राज आदि अन्तर्गत धारा 88, 83, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो कि विवादित कृषि भूमि चक 8 एएस तहसील श्रीविजयनगर खाता संख्या 94/89 पत्थर नम्बर 17/37(36) किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 6.198 हैक्टेयार कुल 25 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृत कृषि भूमि के विभाजन के सम्बन्ध में है, जिसमें से 1/6 हिस्सा का हक का प्रार्थी को खातेदार घोषित करते

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की प्रार्थना की गई है साथ ही 212 आर. टी.ए का प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा एक फर्जी एवं कूट रचित वसीयत तैयार करके वसीयत के आधार पर भी एक पत्रावली विचाराधीन है, चूंकि अप्रार्थीगण प्रभाव वाले व्यक्ति है और उक्त कृषि भूमि में स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद भी वसीयत के आधर पर इन्तकाल दर्ज कराने बाबत दैनिक भास्कर समाचार पत्र में सर्व साधारण को सूचनार्थ सूचना निकलवाकर गैर कानूनी रूप से इंतकाल दर्ज करवाने की धमकी दे रहे है और कहते है कि तहसीलदार को हमने खरीद लिया है और प्रार्थी को बिना सूचना दिये ही अपने नाम इंतकाल दर्ज करवा देगे। जिस सम्बन्ध में प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना दिनांक 15.04.2019 को तहसीलदार, विजयनगर को प्रस्तुत किया परन्तु सूचना आज तक नहीं दी गई।

उनका यह भी कथन है कि उक्त वाद पत्र में अप्रार्थीगण ने आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत किया हुआ है जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 12 – उपखण्ड अधिकारी ने मात्र 4 दिन बाद ही बहस की तारीख नियत की गई और बार – बार प्रार्थना करने पर भी कुछ दिन के लिए पेशी आगे बढ़ाई। पैतृक सम्पत्ति का अभिलेख पेश करने के लिए एक माह से कम समय की पेशी अप्रार्थी के प्रभाव से नियत की गई। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 11 व 12, 1 ता 10 के प्रभाव में है इसलिए प्रार्थी को न्याय मिलने की संभावन नहीं है। जबकि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया बनता है तथा सुविधा संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निशेषाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रकरण संख्या 12/2009 एवं विविध प्रार्थना पत्र 16/2009 को किसी अन्य न्यायालय में न्यायहित में मुंतकिल किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्कों का मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एक दावा संख्या 12/2009 अनवानी महेन्द्र बनाम इन्द्राजवगैरहा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आर.टी.ए का व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 16/2019 महेन्द्र बनाम इन्द्राज आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से निष्पक्ष न्याय न मिलने के कारण अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित मामले पर कोई विचार नहीं करना है केवल मात्र यह देखना है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं।

चूंकि इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीजी/वाचक/1128 दिनांक 25.09.2019, 1276 दिनांक 16.10.2019 एवं 1363 दिनांक 06.11.2019 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्धारित तिथि से पूर्व टिप्पणी चाही गई थी किन्तु इस न्यायालय द्वारा उक्त पत्र जारी करने के बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयानगर द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व टिप्पणी नहीं भिजवाई गई है, जिससे प्रतीत होता है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर अप्रार्थीगण के प्रभाव में है, जिससे प्रार्थी की इस तर्क को बल मिलता है कि प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण दावा संख्या 12/2009 अनवानी महेन्द्र बनाम इन्द्राज वगैरहा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आर.टी.ए का व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 16/2019 महेन्द्र बनाम इन्द्राज आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. को न्यायहित में किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित होगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर **उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण दावा संख्या 12/2009 अनवानी महेन्द्र बनाम इन्द्राज वगैरहा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आर.टी.ए का व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 16/2019 महेन्द्र बनाम इन्द्राज आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में इस आदेश के साथ मुंतकिल किया जाता हैं** कि वे सम्बन्धित पक्षकारों को सुनकर विधिवत् रूप से प्रकरणों का निस्तारण करें। उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त दोनों पत्रावलियां शीघ्र मुंतकिल करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर